अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजमल पुत्र किशनलाल बनाम किशन लाल पुत्र गोरु जाति बलाई नागा जरिये सहायक अधिकारी अजमेर, ... व अन्य

किस्म मुकदमा दीवा० प्रा०पत्र नम्बर 22 सन् 2022 (53)

05.1.22 यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री शौकिन्दलाल गुर्जर एडवोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्राथना निवेदन किया कि दिनांक 24.12.2021 को बरवक्त दिलाये जाने आवाज अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में अपीलांट एवं अभिभाषक समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.12.2021 को प्रार्थीगण/अपीलांट अभिभाषक की ओर से कोई हिदायत पैरवी हाजीर नहीं होने से अदम हाजरी एव अदम पैरवी में उक्त अपील निरस्त फरमा दी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस आगे निवेदन किया माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट को अपने अभिभाषक द्वारा यह हिदायत दी गई, कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए दिनांक 24.12.2021 को प्रार्थीगण/अपीलांट अभिभाषक की हिदायत अनुसार माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा प्रार्थीगण/अपीलांट [illegible] प्रकरण में व्यस्त होने से न्यायालय के समक्ष हाजर नहीं [illegible] माननीय न्यायायल द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में निरस्त फरमा दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को वास्ते सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर